भारत के उप-राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा 3 दिसम्बर, 2007 को 1600 बजे अशोक होटल, नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यासों के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यास संगठन के प्रारंभ के अवसर पर दिया गया मुख्य भाषण

3 दिसम्बर, 2007
नई दिल्ली।

देवियो और सज्जनो,

यह एक भिन्न प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सभा है। मैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यास संगठन के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर आज आपके साथ यहां उपस्थित होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दिल्ली में यह एक दुर्लभ दृश्य है जिसमें परिरक्षण विशेषज्ञों का जमावड़ा अपने अनुभवों को बांट रहा है तथा विरासत के प्रबंधन एवं परिरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने हेतु चर्चा कर रहा है और सामूहिक रणनीतियां विकसित कर रहा है।

आज के सार्वभौमीकरण युग से काफी समय पहले विरासत प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को पहचान लिया गया था। 1972 में यूनेस्को के महासम्मेलन में अंगीकृत 'विश्व संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय' में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राष्ट्रों की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को "समग्र मानव जाति की वैश्विक विरासत के अंश के रूप में" परिरक्षित किए जाने की आवश्यकता है और यह कि यह संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह इस विरासत के संरक्षण में संपूरक के रूप में भाग लें, न कि संबद्ध राज्य के प्रयासों के बदले में।"

इस अभिसमय ने यह भी नोट किया कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के "क्षय के पारंपरिक कारणों से ही नहीं, अपितु परिवर्तनशील सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के कारण भी नष्ट हो जाने का खतरा लगातार बढ़ रहा है।"

अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र न्यास संगठन के औपचारिक प्रारंभ से विरासत-परिरक्षण के अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण कार्य राज्य के कर्ता-धर्ताओं की परिधि से निकल कर तेजी से सार्वभौमिक हो रहे सिविल समाज के दायरे में आ गया है। इससे परिरक्षण जनता के पास वापस आ गया है जो कि अपनी विरासत के परिरक्षण के इष्टतम प्रतिभू एवं लाभग्राही है। यह

भारत और अन्य विकासशील देशों में हो रहे अप्रत्याशित आर्थिक प्रगति और विकास की पृष्ठभूमि में हो रहा है। राष्ट्रीय न्यासों के 12वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिपाद्य 'विरासत और विकास' अत्यंत सामयिक और समीचीन है।

देवियो और सज्जनो

तीव्र आर्थिक विकास यद्यपि अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन इससे विस्थापन होता है। परंपरागत जीवन के सामाजिक एवं आर्थिक ढर्रे विपथित हो जाते हैं, निमंत्रण से परे अनजानी शक्तियां लोगों को प्रतिस्थापित कर देती हैं, उन्हें अपनी जड़ से उखाड़ देती हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक धुरियां बदल जाती हैं, लोग भिन्न-भिन्न मात्रा में अलग-अलग पड़ने का कष्ट भोगते हैं वे अपनी जड़ों से कट जाते हैं तथा उनके अपने बाहरी माहौल एवं आंतरिक सांस्कृतिक संदर्भ में संघर्ष पैदा हो जाता है। हमें यह जानकारी मिली है कि अनेक वनस्पति-जातियों एवं प्राणि-जातियों के लुप्त होने से महत्वूपर्ण जैव विरासत नष्ट हो जाती हैं अनेक बोलियां एवं भाषाएं मर जाती हैं। सतत् विकास की संकल्पना के हमारी विरासत के परिरक्षण के संबंध में अनेक आयाम हैं।

इस सम्मेलन में बहस के लिए चुने गए कुछ अन्य मुद्दों की ओर भी नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय न्यासों, सिविल समाज एवं हमारे देशों के लोगों का ध्यान दिलाया जाना चाहिए। मैं इनमें से तीन मुद्दों को उजागर करना चाहूंगा:

1. संघर्ष और प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विरासत का परिरक्षण अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने अपने देश में देखा है कि युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् पुनर्वास एवं विकास की प्रक्रिया में विरासत के परिरक्षण को उच्च प्राथमिकता नहीं प्रदान की जाती। यह बात समझ में आती है कि जब जन-संसाधन सीमित होते हैं तब अधिकतम ध्यान विपदाओं से जूझ रहे लोगों की मदद करने और उनका जीवन पुन: संवारने के काम की ओर जाता है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय सहायता एवं सहयोग प्राकृतिक विपदाओं और युद्धों से विरासत को पहुंची व्यापक क्षति को कम करने में मदद कर सकते हैं।

2. उन प्रदेशों और समाजों में, जिन्हें विरासत में समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत मिली है, संसाधन के सर्जन के लिए विरासत पर्यटन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। किन्तु विरासत पर्यटन से स्वयं उसके लिए कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह कहा गया है कि विरासत पर्यटन से मेज़बान समाजों के सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक भूपटल पर

नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार के पर्यटन की लागतों और लाभों के समान वितरण तथा सरकारी एवं कार्पोरेट क्षेत्र के समकक्ष स्थानीय समुदायों एवं सिविल समाजों द्वारा विरासत पर्यटन को संवर्धित करने की भूमिका के बारे में भी मुद्दे उठाए गए हैं।

3. विरासत का परिरक्षण करते समय सहयोग का एक ऐसा पहलू है जिसकी अंत:शक्ति का अभी तक पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया गया है और वह है- क्षेत्रीय सहयोग। यह अत्यंत कठिन है कि विरासत में मिले सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक जटिल मानचित्र तथा लोगों की अगोचर विरासत पर राष्ट्रीय सीमाओं की अतिव्याप्ति की जाए। भारत में चारों ओर से बहने वाली सांस्कृतिक एवं सभ्यतामूलक हवाओं का समागम होता है। हमारी विरासत की विभिन्न शाखाएं अपने उद्‌भव के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और लोगों की ऋणी हैं। विरासत के परिरक्षण से क्षेत्रीय सहयोग को अतुलनीय लाभ मिलेगा।

देवियो और सज्जनो

विकास की प्रक्रिया की बदौलत पर्यावरण और विरासत को हो रहे संभावित नुकसान के बारे में जनता की बढ़ती हुई चिंता को विश्व की सरकारें नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती हैं। सतत विकास न केवल आर्थिक, अपितु सांस्कृतिक आधार पर सर्वसमावेशी होना चाहिए। विगत हाल में हुए तीव्र विकास से जिन लोगों को लाभ नहीं हुआ है, उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए समर्थ एवं सशक्त किया जाना चाहिए। हमारी विरासत जिसमें हमारे समाज के दुर्बल एवं उपेक्षित वर्ग शामिल हैं, की अविश्वसनीय विविधता का अवश्य ही परिरक्षण किया जाना चाहिए।

मैं विरासत के परिरक्षण हेतु किए गए अद्‌भुत कार्य के लिए पुन: विभिन्न राष्ट्रीय न्यासों, विशेषत: 'इंटैक' की सराहना करता हूँ। 'इंटैक' का कार्य उसके संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष, स्व. श्री राजीव गांधी की संकल्पना एवं समर्पण के प्रति श्रद्धांजलि भी है। मैं आशा करता हूं कि 'इंटैक' विरासत को बचाने एवं विरासत संबंधी जागरूकता के बारे में जनता को शिक्षित करने के नागरिक संबंधी कार्य के एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता रहेगा।

मैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यास संगठन को अस्तित्व में लाने के लिए ट्रांज़िशनल स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों को बधाई देता हूं। मैं राष्ट्रीय न्यास के 12वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।